न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–691 / 2026
राम कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार
गंगाब्रिज थाना कांड संख्या–117 / 2026
अंतर्गत धारा–303(2), 317(5) भारतीय न्याय संहिता।

23-06-2026 गंगाब्रिज थाना कांड संख्या–117 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–303(2), 317(5) में अभिरक्षाधीन आवेदक **राम कुमार उम्र–22 वर्ष पेसर–परमेश्वर राय** साकिन–दिवान टोक, थाना–गंगाब्रिज, जिला–वैशाली एवं **श्रीकांत राय उर्फ श्रीकांत कुमार उम्र–24 वर्ष पेसर–स्व0 शत्रुधन राय** साकिन–तेरसिया, थाना–गंगाब्रिज, जिला–वैशाली जो दिनांक–11.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, में धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **मो0 असरफ** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

Web copy not Official

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–10.05.2026 को सूचक अपना मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर जिसका रजि० नं–BR31AK9942 से पाया नं0–10 के पास श्रीसी राय के घर पर भोज खाने गया था। भोज खाकर जब वह आया तो देखा कि उसका मोटरसाईकिल नहीं है। सूचक अपने स्तर से मोटरसाईकिल की खोजबीन किया किया तो देखा कि दो व्यक्ति एक स्प्लेण्डर को लेकर जा रहे है। जब सूचक गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि उक्त मोटरसाईकिल उसी का है। जब सूचक चोर–चोर का हल्ला किया तो आस–पास के लोग जुट गये और आस–पास के लोगों के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। पकड़ाये दोनों व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम श्रीकांत कुमार एवं राम कुमार बताये। उसके बाद गाड़ी के साथ दोनों का पकड़कर गंगाब्रिज थाना ले गया और थाना पर गाड़ी के साथ दोनों का सुपुर्द किया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण दिनांक–11.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। निवेदित है, आवेदकगण को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर सूचक की मोटरसाईकिल को चोरी करने का आरोप है। प्राथमिकी अनुसार आवेदकगण को सूचक की

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–691 / 2026

राम कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

23.06.2026 मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर जिसका रजि० नं–BR31AK9942 जिसे चोरी की गई थी, के साथ पकड़ा गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सूचक का मोटरसाईकिल बरामद हो चुका है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक–11.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदकगण को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदकगण को मो0 10,000 / – की समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि–

1. आवेदक किभी भी प्रकार के ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा और हिरासत से रिहा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को अपने सदाचरण के संबंध में उपस्थित होकर रिपोर्ट करेगा।

2. आवेदकगण किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदकगण द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदकगण का जमानत रद्द करने और आवेदकगण को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदकगण का जमानत स्वीकार करने से पहले विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को भेजे और उन्हें निर्देश दिया जाए कि यदि आवेदकगण उपरोक्त शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी महीने में उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थानाध्यक्ष विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy Not Official